

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,

(शासकीय स्वशासी संस्था)

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. : 07662-241655

ई-मेल : ssmc-rewa@mp.gov.in

फैक्स नं. : 07662-251167

वेबसाइट : www.ssmcrewa.com

क्रमांक/ 8377 /पैरामेडि./एम.सी./2021

रीवा, दिनांक : 26-04-21

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु विज्ञापन (तृतीय चरण)

स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये विभिन्न स्ववित्तपोषित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिनांक 03 एवं 04 फरवरी, 2021 तथा 24.02.2021 को सम्पन्न काउंसिलिंग के पश्चात विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त रही सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से "प्रथम आओ, प्रथम पाओ" के आधार पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

I. काउंसिलिंग पश्चात प्रवेश हेतु रिक्त रही सीटों का विवरण :-

स. क्र.	पाठ्यक्रम	कुल रिक्त सीट
1	MICROBIOLOGY (DIPLOMA)	19
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN (DIPLOMA)	02
3	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT (DIPLOMA)	39
4	X-RAY (RADIOGRAFER) TECHNICIAN (DIPLOMA)	35
5	GAMMA CAMERA TECHNICIAN (DIPLOMA)	08
6	DIALYSIS TECHNICIAN	02
7	P.G. DIPLOMA IN PERFUSION TECHNOLOGY (P.G. DIPLOMA)	01
8	ORTHO. TECHNICIAN (CERTIFICATE)	14
9	E.C.G. TECHNICIAN (CERTIFICATE)	14
10	ANAESTHESIA TECHNICIAN (CERTIFICATE)	03
11	ULTRA SOUND TECHNICIAN (CERTIFICATE)	04
12	HOSPITAL MEDICAL RECORD SCIENCE (CERTIFICATE)	09
13	HEALTH INSPECTOR (CERTIFICATE)	09

पात्र इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पूर्ण कर आवश्यक अभिलेखों के साथ डी.एन.एस. चौधरी हॉल, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में दिनांक 28.04.2021 को सुबह 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे के मध्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकेंगे। पाठ्यक्रमों का आवंटन "प्रथम आओ, प्रथम पाओ" के आधार किया जावेगा। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रारूप हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.com का अवलोकन करें।

Andul

मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमशः 02

II. प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक शुल्क का विवरण :-

पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
2 वर्षीय डिप्लोमा	46,530 (रु. 41,530/- शैक्षणिक शुल्क + रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	रु. 41,530/-
1 वर्षीय प्रमाणपत्र	35,000 (रु. 30,000/- शैक्षणिक शुल्क + रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	-

III. शैक्षणिक योग्यता :-

- छात्र को 10+2 पद्धति से हायर सेकण्ड्री भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनारक्षित एवं ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 33 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा।
- P.G. DIPLOMA IN PERFUSION TECHNOLOGY (P.G. DIPLOMA) हेतु आवेदक को विज्ञान (Chemistry, Botony & Zology) विषय में स्नातक परीक्षा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

IV. अन्य नियम एवं शर्तें :-

- आवेदन शुल्क :-** आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित एवं ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के अभ्यर्थी रु. 500/- तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रु. 300/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि "CEO & Dean, S. S. Medical College, Rewa" के नाम देय हो जमा करना होगा। बिना आवेदन शुल्क के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में समस्त आवश्यक दस्तावेजों एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ दिनांक 28.04.2021 को सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे के मध्य डी.एन.एस. चौधरी हॉल, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में सभाकक्ष में जमा किये जा सकेंगे।
- अभ्यर्थी अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों की मूलप्रति एवं रु. 5,000/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि "CEO & Dean, S. S. Medical College, Rewa" के नाम देय हो के साथ उपस्थित होंगे। ड्राफ्ट के अभाव में पाठ्यक्रम आवंटित नहीं किया जावेगा।
- प्रवेश की अन्तिम तिथि दिनांक 30.04.2021 निर्धारित है। अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम आवंटित होने पर दिनांक 30.04.2021 तक पाठ्यक्रम की शेष शैक्षणिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, किन्तु काउंसिलिंग में सम्मिलित नहीं हो पाये हैं अथवा किसी भी कोर्स का चयन नहीं किया है। ऐसे अभ्यर्थियों को पृथक से आवेदन करना होगा। उनके पूर्व के आवेदनों को मान्य नहीं किया जावेगा।
- आवेदक की आयु 31 दिसम्बर 2020 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महिलाओं एवं निःशक्तजनों को आरक्षण का लाभ म.प्र. शासन के नियमानुसार दिनांक 05 जुलाई 2017 को प्रकाशित म.प्र. राजपत्र (असाधारण) के अनुसार देय होगा।
- आरक्षित वर्ग के आवेदकों को काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए। काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- विज्ञप्ति सीटों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाई/घटाई जा सकती है जिसका पूर्ण अधिकार संस्था को होगा।
- न्यायालयीन परिवादों के निराकरण का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय रीवा होगा।
- स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के अन्तर्गत पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की पात्रता नहीं होगी। इस आशय का शपथ-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. आवेदक को काउंसिलिंग में उपस्थिति होने के लिये रु. 5000/- (पांच हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो कि "CEO & Dean, S. S. Medical College, Rewa" के नाम देय हो जमा करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट के अभाव में आवेदक काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। सीट आवंटित ना होने की स्थिति में ड्राफ्ट उम्मीदवारों को वापस कर दिया जावेगा। सीट आवंटन के पश्चात शेष शैक्षणिक शुल्क 03 दिवस के अंदर ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से जमा करनी होगी ऐसा न होने की स्थिति में उनका प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा जमा की गई राशि रु. 5000/- (पांच हजार) वापस नहीं की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आवेदक की होगी।
15. सभी पाठ्यक्रमों के लिये एक ही आवेदन-पत्र, जिसका प्रारूप दिया गया है, देय होगा। पाठ्यक्रम का आवंटन आवेदक के हायर सेकण्ड्री (10+2) के कुल प्राप्त अंक की मैरिट के अनुसार वर्ग में उपलब्ध सीटों पर काउंसिलिंग के द्वारा किया जावेगा। अंक समान होने की स्थिति में उम्र में वरिष्ठ आवेदक को वरीयता दी जायेगी। यदि अंक एवं उम्र समान पायी जाती है तो वरीयता क्रम में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में अधिक अंक रखने वाले का वरीयता दी जाएगी। पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में चयन हेतु मैरिट का निर्धारण स्नातक की अंकसूची के अंकों के आधार पर किया जावेगा।
16. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत सेवारत कर्मचारियों के लिये शासन के नियमानुसार 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित संस्था के संस्था प्रमुख का ही मान्य होगा। विभागीय कर्मचारी न होने पर उक्त आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के पात्र आवेदकों से भरी जायेंगी।
17. प्रवेश के समय स्थानान्तरण एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र तथा माइग्रेशन प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा। तथा काउंसिलिंग के समय जमा राशि रु. 5,000/- (पांच हजार) मात्र वापिस नहीं की जावेगी। छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क एवं संस्था द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क पृथक से देय होगा।
18. प्रवेश के समय आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अभिभावक के आय प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हो जमा करना अनिवार्य होगा।
19. काउंसिलिंग दिनांक को समस्त उम्मीदवारों को प्रातः 10:00 बजे निम्न दस्तावेजों की मूलप्रति लाना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज की मूलप्रति न होने पर काउंसिलिंग प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार प्रवेश समिति का रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की होगी:-
 - I. 10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि प्रमाण हेतु) तथा प्रमाण पत्र
 - II. 12वीं की अंकसूची (भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ)/स्नातक की अंक सूची (पी.जी. डिप्लोमा हेतु)
 - III. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
 - IV. माइग्रेशन प्रमाण पत्र
 - V. जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
 - VI. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2020-21 का)
 - VII. ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 - VIII. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
 - IX. 10 पासपोर्ट साइज फोटो।
 - X. शासकीय सेवारत विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

संलग्न :- आवेदन-पत्र का प्रारूप



मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)